(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण कमांक————/2003 पुनरीक्षण याचिका

रामभरोसा पुत्र फुन्दीलाल निवासी
ग्राम कदवाया तहसील ईसागढ़
जिला गुना (म0प्र0)——आवेदक

बनाम

चिन्दूलाल पुत्र भेरालाल निवासी
ग्राम कदवाया ईसागढ़ जिला गुना
मध्य प्रदेश————अनावेदक

र आयुक्त संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 266/2000–2001 अपील द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2003 सी पीड़ित होकर यह पुनरीक्षण याचिका आवेदन अर्न्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व सहिता 1959।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका सादर निम्नप्रकार से प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य (Facts Of The Case)

1– यह कि आवेदक ने दिनांक 9–7–1976 को जर्ये रजिस्ट्री कमांक 1060 के द्वारा सुम्मा पत्नी अमर सिंह उर्फ उभय सिंह निवासी ग्राम वदरबास परगना कोलारस जिला शिवपुरी से 4000/– रूपये मे ग्राम कदवाया परगना अशोक नगर ने सर्वे कमांक 268 रकवा 2.08 हेक्टर तथा सर्वे कमांक 320 रकवा 0.105 हैक्टर इस प्रकार कुल मिलाकर रकवा 2.133 हेक्टर कय की थी।

2– यह कि न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 अशोक नगर प्रकरण कमांक 7ए0/87 ई0दी मे भेरो विरूद्व राम भरोसा आदि में अर्न्तगत धारा 39 नियम (1) तथा (2) का प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20–7–77 को निरस्त कर दिया गया।

3– यह कि भेरो तथा चिन्दूलाल आपस मे खास पिता पुत्र है। इस कारण से भी यह आदेश अनावेदक पर वाइन्डिग होता है।

4– यह कि न्यायालय तेहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष अनावेदक चिन्दू पुत्र भेरोलाल ने विवादित भूमि का कब्जा इन्द्राज वावत प्रस्तुत किया था जो गलत अधारो पर स्वीकार हुआ। इससे दुखित होकर आवेदक ने प्रथम अपील न्यायालय ए0डी0ओ0 अशोक नगर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण कमांक 158 अपील 158/99/2000 होकर दिनांक 24–2–2002 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई।

5– यह कि न्यायालय श्री एस0पी0 गुप्ता अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अनावेदक ने प्रस्तुत की थी जो दिनांक 6–6–03 को स्वीकार की गई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1069–दो/2003 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–2016	आवेदक अभिभाषक श्री एम0पी0 भटनागर एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 266/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 06–6–2003 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जे इन्द्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 32 की शक्ति का उपयोग करते हुये कब्जे का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि गलत धारा के लिखने से प्रकरण गलत शीर्ष में दर्ज होता है तो इससे प्रकरण के तथ्य नहीं बदलते हैं और ऐसी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर पक्षकार को सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	